(c) whether Government propose to offer any economic package or some rehabilitation proposal for the militants who have surrendered; and

(d) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) Government are aware about the insurgency situation in the North-Eastern Region and have taken several steps for controlling it. Certain States in the North-Eastern Region have varying degrees of militancy and terrorism. While it is not practical to seal the borders with the neighbouring countries, BSF units have been alerted with a view to stop infiltration from across the border.

(c) and (d) The concerned State Governments have schemes for rehabilitation of surrendered militants. In certain cases Central Government have extended financial assistance to the State Governments.

टाडा के अंतर्गत बंदी बनाए गए और छोड़े गए लोग

832. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान "टाडा" के अंतर्गत कितने व्यक्ति बंदी बनाए गए और पुनरीक्षा समितियों द्वारा जिन लोगों को छोड़ने की सिफारिश की गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सिफारिशों के आधार पर अब तक छोड़े गए लोगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पुनरीक्षा समिति द्वारा छोड़े जाने हेतु सिफारिश किए जाने के बावजूद भी कुछ लोगों को छोड़ा नहीं गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें न छोड़े जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) चूंकि टाडा अधिनियम, 1987 पहले ही दिनांक 23.5.1995 को व्यपगत हो चुका है अतः पिछले वर्ष के दौरान टाडा के अधीन गिरफ्तारियां करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) एक विवरण संलग्न **(नीचे देखिये)**।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्। राज्य पुनरीक्षा समितियों द्वारा विचार कर लेने के बाद राज्य सरकारें इन सिफारिशों पर अमल करने के लिए सक्षम हैं। केवल एक मामले में, जहां केन्द्रीय जांच ब्यूरो अभियोजन चलाने वाली एजेन्सी है, राज्य पुनरीक्षा समिति ने सिफारिश की थी कि टाडा अधिनियम की कुछ धाराओं को, एक विशिष्ट मामले में अभियुक्त कुछ व्यक्तियों के संबंध में रद्द किया जा सकता, जबकि अन्य धाराओं के अधीन आरोपों को बरकरार रखा जा सकता है। केन्द्रीय पुनरीक्षा समिति, राज्य पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपों को रद्द करने पर केवल अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन के गवाहों की परीक्षा हो जाने के बाद ही विचार किया जाएगा जैसा अन्यथा राज्य पुनरीक्षा समिति द्वारा यथा संतुत आरोपों को रद्द करना जल्दबाजी होगा।

विवरण

राज्य पुनरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित टाडा मामलों की स्थिति (17.4.97 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पुनरीक्षित मामलों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध टाडा के उपबन्धों को छोड़ दिया गया।
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आन्ध्र प्रदेश @	1696	9302
2.	अरूणाचल प्रदेश +	14	—
3.	असम *	1844	2229
4.	बिहार $	59	754
5.	गुजरात $	1319	10827

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	गोवा	—	—
7.	हरियाणा £	111	94
8.	हिमाचल प्रदेश %	1	—
9.	जम्मू और कश्मीर *	4865	23
10.	कर्नाटक £	11	51
11.	मणीपुर $	537	92
12.	मध्य प्रदेश +	73	73
13.	महाराष्ट्र *	339	507
14.	मेघालय +	9	—
15.	पंजाब *	422	3819
16.	राजस्थान *	60	87
17.	तमिलनाडु %	45	57
18.	उत्तर प्रदेश *	201	376
19.	पश्चिम बंगाल %	—	—
20.	चंडीगढ़ प्रशासन +	5	8
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार **	491	203
		12102	28502

* जनवरी 96 % अक्तूबर, 96
@ जून 96 £ नवम्बर, 96
$ अगस्त 96 £ दिसम्बर 96
\+ सितम्बर 96 ** जनवरी 97

Repatriation of Chakma Refugees

833. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government of Bangladesh have recently signed a package deals with India to repatriate Chakma refugees from India, if so, the details thereof;

(b) how many Chakma refugees have been settled in India since 1974; and

(c) what progress have been made in this regard and how many Chakmas have been repatriated to Bangladesh till date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) No, Sir. It is reported that Government of Bangladesh has signed an agreement with the refugee leaders under which a 20 point package of rehabilitation of refugees returing to Bangladesh has been agreed to.

(b) and (c) 55,870 Bangladeshi nationals were settled in six refugee camps in Tripura. Out of them 11,900 refugees have no far gone back to Bangladesh.

मन्दिर मार्ग के थानाध्यक्ष द्वारा शिकायत-कर्ताओं को प्रताड़ित किया जाना

834. **श्रीमती मालती शर्मा:**
श्री राजनाथ सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंदिर मार्ग थाने के थानाध्यक्ष के काम करने का ढंग सही नहीं है और पुलिस द्वारा शिकायत-कर्ताओं की शिकायतों पर ध्यान देने की बजाय उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तथा जून, 1997 से इस थाने में कितनी शिकायतें लम्बित पड़ी हैं;

(ख) क्या मंदिर मार्ग थाने को गोल मार्केट टैक्सी स्टैंड से कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि किसी अन्य पार्टी द्वारा उक्त टैक्सी स्टैंड पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जा रही है लेकिन कोई कार्यवाही करने की बजाय पुलिस द्वारा टैक्सी स्टैंड के मालिक को प्रताड़ित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो पुलिस द्वारा इस शिकायत पर कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मोहम्मद मकबूल डार):

(क) जी नहीं, श्रीमान्। मंदिर मार्ग थाने के पदासीन थाना प्रभारी का आचरण संतोषजनक पाया गया है। 1.6.97 और 23.7.97 के बीच उक्त पुलिस स्टेशन पर विभिन्न प्रकार की 37 शिकायतें प्राप्त हुई जो कि जांच की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ख) और (ग) गोल मार्केट टैक्सी स्टैंड के प्रोप्राइटर द्वारा दो टैक्सी चालकों के विरुद्ध एक शिकायत, बिना बारी के यात्री लेने के लिए अन्य चालकों के साथ कथित रूप से झगड़ा करने को लेकर, दर्ज कराई गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस झगड़े में शामिल